डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 12 ● भोपाल ● 16-30 नवम्बर, 2017 ● पृष्ठ 16 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

मध्यप्रदेश में सहकारिता प्रगति के नये सोपान

प्रदेश में सहकारिता के मुख्य सिद्धान्त 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' को व्यवहारिक रूप से अमली जामा पहनाया गया है। प्रदेश में 39,000 सहकारी संस्थाओं के विशाल नेटवर्क कृषि ऋण एवं आदान, ग्रामीण एवं नगरीय बैंकिंग, दुग्ध, विपणन, सार्वजनकि वितरण प्रणाली, आवास, उपभोक्ता, व्यावसायिक, मत्स्य, उपार्जन, भण्डारण, प्रौद्योगिकी, चीनी उत्पादन के माध्यम से सदस्यों एवं नागरिकों की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कुल मिलाकर राज्य सरकार प्रदेश की अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं को वित्तीय रूप से मजबूत करते हुए इन संस्थाओं के माध्यम से किसानों, ग्रामीण और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अग्रसर है।

मध्य प्रदेश की सहकारी संस्थायें-

- प्रदेश में कुल सहकारी संस्थायें- 40235
- शीर्ष सहकारी संस्थायें- 24
- जिला स्तरीय संस्थायें - 182
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक -38
- नागरिक सहकारी बैंक- 52
- विपणन संस्थायें- 291
- सहकारी शक्कर कारखाने- 5

सहकारिता में नवाचार

प्रदेश की जनसामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारिता के माध्यम से करने हेतु नवीन क्षेत्रों में नवाचार के माध्यम से सहकारिता का विस्तार कराया जा रहा है।

वर्तमान प्रगति-

- राज्य स्तरीय म.प्र. राज्य सहकारी भण्डार गृह संघ का गठन
- 24 प्राथमिक पर्यटन सहकारी संस्थाओं का गठन
- 74 जैविक कृषि सहकारी संस्थाओं का गठन
- 44 परिवहन/ई-रिक्शा सहकारी संस्थाओं का गठन
- 15 सेवा प्रदाता सहकारी संस्थाओं का गठन
- 68 रहवासी सहकारी संस्थाओं का गठन
- 63 श्रम ठेका सहकारी संस्थाओं का गठन
- 19 अन्य नवाचार सहकारी संस्थाओं का गठन
- झाबुआ जिले में लुप्त हो रही कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति को बचाने तथा आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए सहकारिता के माध्यम से 12 सहकारी संस्थाओं का गठन।

आगामी योजना-

नवाचार हेतु पर्यटन, परिवहन/ई रिक्शा, श्रमिक, जन-औषधि, उद्यानिकी, सुरक्षा, ई- तकनीकी, खाद्य-प्रसंस्करण, ग्रामोद्योग अधोसंरचना निर्माण और फ्लोरी कल्चर के क्षेत्र में प्राथमिक एवं राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थाएं पंजीकृत कराई जायेगी।

सहकारिताएं किसान कल्याण व कृषि विकास का संवाहक हैं। सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में कृषकों के हितार्थ कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

सहकारी साख

प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कर्मण अवार्ड दिलाने में सहकारी साख की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सहकारी साख संरचना में प्राथमिक स्तर पर 4526 संस्थाएं है, जिला स्तर पर 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक है जिनकी 807 शाखाएं है इनके माध्यम से सहकारी साख संस्थाओं को अल्पावधि कृषि ऋण एवं मध्यावधि ऋण तथा सार्वजानिक वितरण प्रणाली के कार्य हेतु एवं कृषि आदान ऋण

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सहकारी गीत

सहकारी सतरंगा प्यारा,
झण्डा ऊँचा रहे हमारा।
संघ शक्ति प्रगटाने वाला,
शांति सुधा बरसाने वाला।
सम्पत्ति सुमति बढ़ाने वाला,
जन-गण तंत्र सुमंत्र हमारा।
झण्डा ऊँचा रहे हमारा,
सहकारी सतरंगा प्यारा।
हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
जैन, बौद्ध प्रिय एक ही भाई।
सहयोगीबन, करें भलाई,
भेद दुराग्रह विष तज सारा।
झण्डा ऊँचा रहे हमारा,
सहकारी सतरंगा प्यारा।
इस झण्डे के नीचे निर्भय,
आए कृषक सभी सब निश्चय।
कर्मयोग की बोले जय जय,
सुख समृद्धि है ध्येय हमारा।
झण्डा ऊँचा रहे हमारा,
सहकारी सतरंगा प्यारा।

सहकारिता के सात रंग

1.	लाल	आर्थिक स्वाधीनता
2.	केसरिया	सामाजिक स्वाधीनता
3.	पीला	नैतिक स्वाधीनता
4.	हरा	राजनैतिक स्वाधीनता
5.	नीला	कृषि स्वाधीनता
6.	आसमानी	उद्योग स्वाधीनता
7.	जामुनी	कला/शिक्षा स्वाधीनता

सहकारी सप्ताह की शुभकामनाएँ...

64वाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह, 2017 कार्यक्रम

अखिल भारतीय स्तर पर प्रति वर्ष 14 नवम्बर से 20 नवम्बर तक अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस क्रम में 64वाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का कार्यक्रम निम्नानुसार है।

दिनांक	आयोजित दिवस
14.11.2017	सहकारिता के माध्यम से सुशासन एवं व्यावसायिकरण
15.11.2017	सहकारिताएँ : उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक
16.11.2017	सहकारी विकास हेतु योग्य विधान
17.11.2017	पब्लिक - प्राइवेट को-आपरेटिव पार्टनरशिप
18.11.2017	तकनीकी जागरूकता एवं केशलेस भुगतान के माध्यम से वित्तीय समावेशन में सहकारिताओं की भूमिका
19.11.2017	वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिये सहकारिता
20.11.2017	कौशल विकास के मुख्य घटक के रूप में सहकारिता

सहकारिता के मूल्य

सहकारिता मूल्य आधारित सामाजिक-आर्थिक प्रणाली है।

1. स्व-सहायता
2. प्रजातंत्रीकरण
3. एकता
4. स्व-उत्तरदायित्व
5. समानता
6. सद्भावना

वित्तीय पत्रक का प्रकाशन

इस अंक में निम्न बैंकों के वित्तीय पत्रक प्रकाशित किये जा रहे हैं।

1. सद्गुरु नागरिक सहकारी बैंक मर्या., भोपाल, मध्यप्रदेश
2. श्री बालाजी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सतना, मध्यप्रदेश

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मध्यप्रदेश में सहकारिता प्रगति के नये सोपान

प्रदाय किया जा रहा है।

शाखाओं से विपणन संस्थाओं, उपभोक्ता संस्थाओं, बुनकर संस्थाओं आदि को ऋण प्रदाय किया जाकर रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे है। राज्य स्तर पर म.प्र. राज्य सहकारी बैंक है जिसकी 20 शाखाएं है। इनके द्वारा सीधे हितग्राहियों को अधिविकर्ष, आवास ऋण उपभोक्ता ऋण, व्यक्तिगत ऋण प्रदाय किये जा रहे है। इनके द्वारा किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण प्रदाय किया जाता है।

सहकारिता से प्रमाणित बीज

कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये उन्नत बीज का होना एक अनिवार्य आवश्यकता हैं। प्रदेश में वर्ष 1956 से स्थापित बीज निगम किसानों की प्रमाणित बीज की मांग को पूर्ण नहीं कर पा रहा था, इसकी पूर्ति के लिए 2004 में म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ का गठन कर प्राथमिक बीज उत्पादक संस्थाएं बनाई गई है, जिनको सहकारी बैंको के माध्यम से व्यवसाय करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। बीज निगम एवं बीज समितियों द्वारा सहकारी संस्थाओं की मांग अनुसार रवी एवं खरीफ फसल हेतु प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जा रहा है।

- प्रदेश बीज उत्पादक प्राथमिक संस्थाएं – 2523
- बीज संघ की सदस्य संस्थायें – 765
- प्रदेश में प्रमाणित बीज उत्पादन में सहकारिता की हिस्सेदारी– 75%
- बीज संघ के भण्डारण केन्द्र– 20 (20 हजार टन)
- प्रकिया इकाई–20

म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ ने वर्ष 2004–05 में जहां 164000 क्विंटल बीज का विक्रय किया वहीं वर्ष 2016–17 में 1023195 क्विंटल बीज का विक्रय किया। कृषि उत्पादन में योगदान दिया जा रहा है।

कृषि उपजों का सहकारी विपणन

म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ का प्रमुख ध्येय किसानों को कृषि आदान उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना तथा कृषि उपजों का उपार्जन एवं वैज्ञानिक भण्डारण है। इस क्षेत्र में म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ की उल्लेखनीय भूमिका है। वर्ष 2016–17 में सहकारी क्षेत्र के माध्यम से 31 लाख मी.टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया।

सहकारी उपभोक्ता सेवा

प्रदेश में उपभोक्ता सहकारिता के विकास हेतु राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ व्दारा 04 प्रियदर्शिनी सेवा केन्द्र संचालित हैं। इसका वर्ष 2005–06 में वार्षिक व्यवसाय 7.10 करोड़ था जो वर्ष 2015–16 में बढकर 98. 04 करोड़ हो गया है।प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन हेतु 4000 प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार संचालित किये जा रहे है।

सहकारी शक्कर उत्पादन

प्रदेश में कृषकों द्वारा गन्ने के उत्पादन के उपयोग हेतु 3 शक्कर मिलों क्रमशः नवल सिंह शक्कर कारखाना, बुरहानपुर, खरगोन सहकारी शक्कर कारखाना एवं नारायणपुरा शक्कर कारखाना, राघवगढ़ गुना संचालित हैं। वर्ष 2016–17 में शक्कर उत्पादन 553939 लाख क्विंटल किया गया है। नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना राष्ट्रीय मंचों पर उत्कृष्टता पुरस्कारों से भी पुरस्कृत हुआ है।

सहकारी आवास सुविधा

प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सहकारी आवास संघ संचालित है जिसका वर्तमान व्यवसाय 372 करोड है तथा जिसके अंतर्गत लगभग 6,000 गृह निर्माण समितियां हैं। आवास संघ व्दारा माननीय सांसदों/विधायकों के लिए रचना नगर भोपाल कें कुल 6.16 एकड़ भूमि पर बहुमंजिला आवासीय योजना अन्तर्गत की कुल 135 करोड़ की लागत से 368 प्रकोष्ठों का निर्माण किया जा रहा है। आवास संघ व्दारा शीघ्र ही ''बिल्डिंग मटेरियल बैंक'' (भवन निर्माण सामग्री बैंक) प्रारम्भ किया जाना है।

सहकारी दुग्ध उत्पादन :–

दुग्ध उत्पादन व्यवसाय (डेयरी) कृषक जीवन का अभिन्न अंग है। सहकारी क्षेत्र में डेयरी संचालन एवं विकास हेतु म.प्र. राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ कार्यरत है जिसके क्षेत्रीय दुग्ध संघों के अंतर्गत लगभग6612 प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है जिनसें 3.32 लाख प्रदायक, जिसमें 92 हजार महिलाएं जुड़ी है। वर्तमान में 6 दुग्ध संघों के माध्यम से 8.89 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संकलन तथा 7.41 लाख लीटर दुग्ध विक्रय किया जा रहा है। सांची ब्राण्ड के नाम से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विक्रय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2015–16 में कुल व्यवसाय 264. 61 करोड़ था जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 1710.77 करोड़ हो गया है।

सहकारी वनोपज संग्रहण

प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले ग्रमीणों को वनोपज का उचित दाम मिले और उनका अर्थिक उन्नयन हो इस दृष्टि से प्रदेश में वनोपज एवं तेंदुपत्ता के संग्रहण, विपणन व वन औषधियों के प्रसंस्करण उपरान्त औषधि निर्माण के लिए राज्य सहकारी वनोपज संघ 60 जिला वनोपज यूनियनों के माध्यम से कार्यरत है। प्रदेश में 1072 प्राथमिक लघु वनोपज समितियां हैं जिनका वार्षिक व्यवसाय लगभग रूपये 1375 करोड़ हैं।

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना

जिले की सहकारी संस्थाओं के समग्र विकास हेतु केन्द्र शासन एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से प्रदेश के 31 जिलों में परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 17 जिलों में परियोजनाएं कियान्वित हैं तथा 3 जिलों में शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है।इस योजना के अन्तर्गत कुल रू. 450.88 करोड़ स्वीकृत हुए जिसमें 239.10 करोड़ प्राप्त होकर रू. 227 करोड़ व्यय हो चुके हैं।योजनान्तर्गत प्रशिक्षण, अधोसंरचना निर्माण, व्यवसाय वृद्धि हेतु सहायता तथा अंशपूंजी एवं मार्जिन मनी दी जाती है। परियोजना से प्रदेश में 2.58 लाख टन की भण्डार क्षमता वृद्धि हुई है।

प्रमुख शीर्ष सहकारी संस्थायें :

- म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
- म.प्र.राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ
- म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
- म.प्र.राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित
- म.प्र.राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित
- म.प्र.राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित
- म.प्र.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
- म.प्र.राज्य सहकारी मुद्रणालय संघ मर्यादित
- म.प्र.राज्य सहकारी औद्योगिक संघ मर्यादित
- म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित

सहकारिता में सूचना प्राद्यौगिकी का उपयोग

प्रदेश के 39,000 सहकारी संस्थाओं की समग्र जानकारी युक्त ई–कॉआपरेटिव पोर्टल व मोबाइल एप्प के माध्यम से सहकारिता में प्रौद्यौगिकी का सदुपयोग किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर के 4 सम्मानों से पुरस्कृत हो चुका है।

प्रदेश के कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति/सेवा सहकारी समिति (पैक्स) के माध्यम से वितरित हो रहे अल्पकालीन कृषि ऋण खातों व उनके फसल बीमा आदि की ऑनलाईन जानकारी प्रदाय की जा रही है तथा पैक्स के साथ विभिन्न आर्थिक संव्यवहारों को एसएमएस के माध्यम से विभागीय पोर्टल ई–कोआपरेव्हिस उपलब्ध कराई गई। इस संबंध में डेटा प्रविष्टि प्रारम्भ हो चुकी है। ई–पोर्टल में 35 लाख से अधिक कृषकों का पंजीयन पूर्ण हो चुका है।

सहकारी साख– संरचना प्रमुख योजनाएं शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण

वर्ष 2003–04 में किसानों से फसल ऋण पर 16 प्रतिशत तक का ब्याज प्रभारित, वर्ष 2012–13 से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाला देश में प्रथम राज्य। वर्ष 2015–16 में 26.31 लाख कृषकों को राशि रूपये 438.60 करोड़ अनुदान का लाभ दिया गया। वर्ष 2003–04 में किसानों को सहकारी बैंकों से कुल 1273 करोड़ का फसल ऋण उपलब्ध। वर्ष 2016–17 में सहकारी सोसायटियों के माध्यम से किसानों को राशि रूपये 11941 करोड़ का फसल ऋण वितरण किया गया। वर्ष 2017–18 में कुल 14000 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित है। पूर्व लंबित ब्याज अनुदान रू. 388 करोड़ जारी किया गया।

मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना

''मुख्यमंत्री सहकारी कृषक ऋण सहायता योजना'' रबी 2015–16 से लागू है, जिसके तहत किसानों व्दारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से लिये जाने वाले अल्पकालीन वस्तु ऋण पर 10 प्रतिशत सहायता, अर्थात् 100 रूपये के वस्तु ऋण पर 90 रूपये की अदायगी करना होती है।

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक को प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये दस हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है। रबी वर्ष 2015–16 में 10.43 लाख किसानों के मुल 5000 करोड़ के अल्पकालीन फसल ऋणों के मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन किया गया है। अपेक्स बैंक की स्थापना के बाद अब तक एक वर्ष में सर्वाधिक राशि का ऋण परिवर्तन की गयी।

साख विस्तार

प्रदेश के समस्त 1.08 करोड़ कृषकों को सहकारी संस्था का सदस्य बनाकर बिना ब्याज ऋण, कृषि आदान पर अनुदान परिवर्तन ऋण पर ब्याज सहायता पहुंचाने का लक्ष्य, अतः वर्ष 2003–04 की सदस्य 56.12 लाख को विशेष अभियान के अंतर्गत बढ़ाकर 76. 55 लाख की गई, अभियान शत–प्रतिशत कृषकों को सदस्य बनाने तक जारी है।

किसान केडिट कार्ड

वर्ष 2003–04 में प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 19 लाख किसान केडिट कार्ड जारी किये गये। वर्ष 16–17 में प्रदेश में कुल वितरित 77.03 लाख किसान केडिट कार्ड में से 53.12 लाख किसान केडिट कार्ड सहकारी समितियों व्दारा वितरित, जो प्रदेश में जारी कुल के.सी.सी. का 69 प्रतिशत है। प्रदेश में अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की

तुलना में सहकारिता क्षेत्र से सर्वाधिक किसान क्रेडिट कार्ड वितरित है।

किसान क्रेडिट कार्ड का रूपे क्रेडिट कार्ड में परिवर्तन

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के कृषकों के किसान क्रेडिट का परिवर्तन रूपे कार्ड में किये जाने की प्रक्रिया जारी है। प्रत्येक ऋणी सदस्य का डी.एम.आर. (डिजीटल मेम्बर रजिस्टर) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के स्तर पर तैयार कराने की कार्यवाही अंतिम चरण में है। वर्ष 2017–18 में कृषकों को अल्पावधि ऋण डीएमआर में प्रविष्टी के आधार पर की गयी है।

कैशलेस संव्यवहार को बढ़ावा

माननीय प्रधानमंत्री जी की कैशलेस संव्यवहारों को बढ़ावा दिये जाने की नीति के अंतर्गत सहकारी बैंकों के खाताधारकों को निःशुल्क पर्सनालाईज चेक बुक, एन.ई.एफ.टी. एवं आर.टी.जी.एस. की निःशुल्क सुविधा, खाताधारकों को अपने खाते से निशुल्क ड्राफ्ट बनाये जाने की सुविधा उपलब्ध है।

सहकारी बैंकों सी.आर.ए.आर. मानदण्डों की पूर्ति

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को 9 प्रतिशत सी.आर.ए.आर. रखा जाना आवश्यक है। प्रदेश के 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में से 15 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक 9 प्रतिशत की सीमा से कम सी.आर.ए.आर. संधारित थी। भारतीय रिजर्व बैंक व्दारा समीक्षा हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

विभाग स्तर पर बैंकों की सतत समीक्षा हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को पालक अधिकारी नियुक्त किया गया।

उक्त बैंकों में निर्धारित मापदण्ड बनाये रखने हेतु राज्य सरकार व्दारा आर्थिक सहायता रू. 42.25 करोड़। जिसके परिणाम स्वरूप 12 बैंकों व्दारा 31 मार्च 2017 पर निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कर लिया गया है। केवल 3 बैंकें सतना, रीवा और दतिया व्दारा मापदण्ड पूर्ण करना शेष है।

कृषि आय को दोगुना करने में सहकारिता की सहभागिता

समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी

सहकारी संस्था के व्दारा विपणन संघ, आपूर्ति निगम एफ.सी.आई. नाफेड आदि की एजेन्सी के रूप में समर्थन मूल्य पर निम्न कृषि उपजों की खरीद–

गेहूं, धान, मक्का

वर्ष 2016–17 में 10.54 लाख कृषकों से उपरोक्त खाद्यान्नों की खरीदी 89.21 लाख कुल राशि रू. 14133.00 करोड़ की गई।

दलहन खरीदी

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर पहली बार मूंग, उड़द, तुअर की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई जिसमें 2.91 लाख टन विभिन्न दलहन रू. 11710 करोड़ की खरीदी 217561 कृषकों से की गई।

देश में पहली बार उद्यानिकी फसल प्याज की समर्थन मूल्य खरीदी

देश में पहल बार म.प्र. व्दारा कृषकों से उद्यानिकी फसले समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु दरें घोषित कर एक अभिनव योजना के अन्तर्गत प्याज खरीदी 2015–16 से प्रारम्भ की गई। वर्ष 2016–17 में 154198 कृषकों से 8.37 लाख मी.टन प्याज रू. 698 करोड़ की क्रय की गई।

कृषकों की आय वृद्धि हेतु सहकारी क्षेत्र की योजनायें

- बिना ब्याज अल्पावधि कृषि ऋण राशि रू. 13588.00 करोड़ वितरित तथा राशि रू. 1065.00 करोड़ ब्याज अनुदान दिया गया है।
- प्राकृतिक आपदा में बिना ब्याज अल्पावधि ऋणक मध्यावधि में परिवर्तन ऋण राशि रू. 5776.58 करोड़, उस पर ब्याज अनुदान राशि रू. 197.52 करोड़ है।
- कृषकों को उर्वरक एवं बीज हेतु वस्तु ऋण पर 10 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम सीमा रू. 10000 दिया जाता है।
- प्रदेश के 57 लख कृषकों बिना ब्याज ऋण हेतु के.सी.सी. (रूपे कार्ड) जारी किये गये है।
- फसल बीमा क्लेम राशि रू. 4660.00 करोड़ जारी।
- उर्वरक वितरण 30 लाख मी.टन किया गया।
- प्रमाणित बीज वितरण 5.85 लाख क्विं.
- कृषि उपकरण हायरिंग केन्द्र 1786 है।
- कृषि सामान्य सुविधा केन्द्र–39 (27 पूर्ण, 12 निर्माणाधीन)

सहकारिता के विकास हेतु भविष्य की योजनाएं

- ग्रामीण स्तर पर बहु–उद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना ग्रामीणजनों को न्यूनतम मूल्य पर उपभोक्ता सामग्री एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना
- स्थानीय संसाधन एवं आवश्यकता के अनुरूप पंचायत स्तर पर रोजगार मूलक सहकारी संस्थाओं का गठन कर ग्रामीण क्षेत्र से पलायन रोकना
- प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण व्दारा पारदर्शी एवं व्यापक सुविधाएं प्रदान करना।
- सहकारी साख संरचना में प्रबंध व्यवस्था सुधारने के लिए संवर्ग (केडर) की स्थापना
- ई–कॉपरेटिव व्दारा पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना
- सहकारिता आधारित बीमा कंपनी बनाकर सहकारिता को बीमा व्यवसाय से जोड़ना
- उद्यानिकी उपज आधारित प्रसंस्करण हेतु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना
- प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक निर्माण इकाई की स्थापना
- प्रत्येक पैक्स के स्तर पर सहकारी क्षेत्र में भू–परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना
- प्रदेश में विषमता के दृष्टिगत पैक्स संस्थाओं का पुर्नगठन
- रोजगार मूलक आयामों पर सहकारी संस्थाओं का गठन

सहकारी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण/कार्य विस्तार

जिले की सहकारी संस्थाओं के समग्र विकास हेतु केन्द्र शासन एवं एन.सी.डी.सी. के सहयोग से प्रदेश के 31 जिलों में परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, 17 जिलों में परियोजनाएं क्रियान्वित हैं तथा 3 जिलों में शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत कुल रू. 540.88 करोड़ स्वीकृत हुए जिसमें 293.10 करोड़ प्राप्त होकर रू. 227 करोड़ व्यय हो चुके हैं।

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण, अधोसंरचना निर्माण, व्यवसाय वृद्धि हेतु सहायता तथा अंशपूंजी एवं मार्जिन मनी दी जाती है। परियोजना से 2.58 लाख टन की भण्डार क्षमता वृद्धि।

आवास संघ के व्यवसाय में वृद्धि

प्रदेश में आवासी सुविधाओं के विकास हेतु राज्य आवास सहकारी संघ संचालित है। वर्तमान टर्न ओवर 372 करोड़, लगभग 6,000 गृह निर्माण समितियां संचालित। म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ व्दारा माननीय सांसदों/विधायकों के लिए रचना नगर भोपाल में कुल 6.16 एकड़ भूमि पर बहुमंजिला आवासीय योजना अंतर्गत कुल 135 करोड़ की लागत से 368 प्रकोष्ठों का निर्माण प्रस्तावित। आवास संघ व्दारा शीघ्र ही ''बिल्डिंग मटेरियल बैंक'' प्रारम्भ किया जा रहा है।

आवास संघ व्दारा प्रधान मंत्री अफोर्डेबल हाऊसिंग योजना के अंतर्गत भोपाल एवं इंदौर नगरों में सस्ते आवास निर्माण की योजना पर कार्य जारी।

आवास संघ व्दारा तकनीकी शिक्षा विभाग के 10 आईटीआई भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया।

विपणन संघ : रासायनिक–उर्वरकों का वितरण

- वर्ष 2016–17 में सहकारी क्षेत्र के माध्यम से 21 लाख मी.टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया।
- वर्ष 2016–17 में विपणन संघ का टर्न ओवर 7512 करोड़ है।

वनोपज संघ

प्रदेश में वनोपज एवं तेंदू पत्ता के संग्रहण, विपणन व वन औषधियों के प्रसंस्करण उपरांत औषधि निर्माण के लिए राज्य सहकारी लघु वनोपज संघ 60 जिला लघु वनोपज संघों के माध्यम से कार्यरत है। प्रदेश में 1072 प्राथमिक लघु वनोपज समितियां संचालित। वार्षिक टर्न ओवर लगभग रूपये 1375 करोड़। संघ आयुर्वेदिक औषधि के संकलन, प्रसंस्करण, विपणन एवं अनुसंधान में अग्रणी संस्थान।

डेयरी विकास

- सहकारिता क्षेत्र में डेयरी संचालन एवं विकास हेतु लगभग 6612 प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है।
- 3.32 लाख प्रदायक, जिसमें 92 हजार महिलाएं है।
- 6 दुग्ध संघों के माध्यम से 8.89 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संकलन किया जाता है।
- 7.41 लाख लीटर दुग्ध विक्रय
- वर्ष 2015–16 में टर्न ओवर 264.61 करोड़ वर्ष 2016–17 में 1710.77 करोड़।

सुशासन एवं पारदर्शिता ई–फाईल ट्रेकिंग सिस्टम (EFTS)

म.प्र. का प्रथम विभाग जिसने ई–फाईल ट्रेकिंग सिस्टम दिनांक 16.09.2016 को लागू किया। इस ई–प्रबंधन से फाइलों का शीघ्र निष्पादन एवं फाइलों की लंबित स्थिति के निराकरण हेतु अभिनव पहल। जनवरी 2017 तक 5000 नस्तियों का सृजन और 20000 नस्तियों का संचालन।

ई–को–आपरेटिव्ह पोर्टल

प्रदेश के 39,000 सहकारी संस्थाओं की समग्र जानकारी युक्त ई–कॉआपरेटिव पोर्टल व मोबाइल एप्प के माध्यम से सहकारिता में प्रौद्योगिकी का विकास राष्ट्रीय स्तर के 4 सम्मानों CS & Nihilent Award 2012-13, SKOCH-ORDER-OF-MERIT 2014, SKOCH-ORDER-OF-MERIG 2015, 11th Elets E-India Award 2015 से पुरूस्कृत।

प्रदेश के कृषकों को पैक्स के माध्यम से वितरित हो रहे अल्पकालीन कृषि ऋण खातों व उनके फसल बीमा आदि की ऑनलाईन जानकारी प्रदाय, पैक्स के साथ विभिन्न आर्थिक संव्यवहारों को एसएमएस के माध्यम से विभागीय पोर्टल ई–पोर्टल में 35 लाख से अधिक कृषकों का पंजीयन पूर्ण, 25 लाख से अधिक कृषकों के ऋण खातों की प्रविष्टि।

सामान्य सुविधा केन्द्र

प्रदेश के 6 जिले क्रमशः छतरपुर, दमोह, दतिया, सागर, पन्ना एवं टीकमगढ़ में प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए 39 सामान्य सुविधा केन्द्र निर्माणाधीन। प्रत्येक सामान्य सुविधा केन्द्र में 2000–3000 टन क्षमता के गोदाम, विपणन दुकान, सूचना एवं सायबर कैफे, बीज प्रसंस्करण इकाई, भारी वाहन वर्कशाप, जलपान गृह, किसान आराम गृह, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, एग्री क्लीनिक, कृषि कार्यशाला एवं डिस्प्ले सेंटर तथा बचत बैंक आदि के लिए अधोसंरचना निर्मित।

ऋण परामर्श केन्द्र

किसानों को ऋण से संबंधित सभी प्रकिया एवं पात्रता की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश की 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की 685 कृषि ऋण शाखाओं में से 654 शाखाओं में ऋण परामर्श केन्द्र का संचालन।

वनोपज संग्राहकों को संग्रहण के पहले मिलेंगी चरण पादुकाएँ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ मंत्रालय में वनोपज संग्राहकों के लिये चरण पादुका वितरण योजना की समीक्षा की। उन्होंने वनोपज संग्रहण का समय शुरू होने से पहले पुरूष संग्राहकों को जूते और महिला संग्राहकों को चप्पल एवं अच्छी गुणवत्ता वाली पानी की कुप्पी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

बैठक में बताया गया कि जनवरी 2018के दूसरे सप्ताह में चरण पादुकाएं वितरण करने का अभियान शुरू हो जायेगा। यह अभियान अप्रैल माह के अंत तक पूरा हो जायेगा।

बैठक में मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी, मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भावांतर भुगतान योजना हेतु प्राथमिक सहकारी समितियों तक होंगे कार्यक्रम

सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग ने दिये निर्देश

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने प्राथमिक सहकारी साख समितियों (पेक्स) के स्तर तक किसानों को कार्यक्रम आयोजित कर भावांतर भुगतान योजना की विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री श्री सारंग ने विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्रालय में उक्त निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, आयुक्त सहकारिता श्रीमती रेणु पंत, एम.डी. अपेक्स बैंक और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने बैठक में कहा कि भावांतर भुगतान योजना किसान हितैषी है। इसके प्रावधानों के संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को विस्तार से जानकारी दी जाये। किसानों में योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला, विकासखण्ड और प्राथमिक सहकारी साख समितियों में कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी जाये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये कार्यवाही आज से ही शुरू करें।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री गुप्ता ने बताया कि जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों की 3 नवम्बर को आयोजित बैठक के लिए निर्देश जारी कर दिए गये हैं। इस बैठक में भावांतर भुगतान योजना की विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रजेंटेशन भी दिया जाएगा। बैठक में जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों को योजना की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दे दिए गये हैं।

(पृष्ठ 3 का शेष)

ई–अटेंडन्स

प्रदेश के जिला कार्यालयों में सेवा युक्तों के लिए बायेमैट्रिक आधार बेस्ड ई–अटेंडेन्स प्रणाली लागू की गई है।

पालक– अधिकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में सुशासन समस्या निवारण तथा तीव्र विकास हेतु सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को बैंकवार पालन अधिकारी बनाया।

मध्यप्रदेश में सहकारी कौशल उन्नयन–अभूतपूर्व कदम

म.प्र. राज्य सहकारी संघ व्दारा मानव संसाधन एवं नेतृत्व विकास हेतु सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित। संघ के प्रदेश में 167 सदस्य संस्थाएं हैं। संघ के प्रदेश में 4 प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर, जबलपुर, नौगांव एवं भोपाल है।

राज्य सहकारी संघ व्दारा पी.जी.डी.सी.ए./ डी.सी.ए./ एच.डी.सी.एम. के पाठ्यक्रम संचालित। इन योजनाओं के संचालन हेतु 3 प्राचार्य, 9 व्याख्याता, 11 जिला प्रशिक्षक तथा 3 कम्प्यूटर प्रशिक्षक का अमला उपलब्ध है।

देश की प्रथम सहकारी कौशल उन्नयन परियोजना

राज्य सहकारी संघ व्दारा नेशनल स्किल डब्लपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से कौशल उन्नयन परियोजना से सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के सेवायुक्तों, सहकारी नेतृत्व तथा विभिन्न क्षेत्र के कारीगरों में से चयनित 2000 को पायलट प्रशिक्षण इन्दौर, भोपाल एवं जबलपुर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इस प्रकार प्रधान मंत्री कौशल विकास योजनायें वित्तीय सहायता प्राप्त कर सहकारी क्षेत्र में कौशल उन्नयन करने वाला मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है।

प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन के अन्तर्गत

प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना में रिकागनिशन ऑफ प्रॉयर लर्निंग में शामिल है :

1. RPL एक ऐसी स्कीम है जिसमें विभिन्न उद्यमों में पदस्थ कर्मचारियों का कौशल उन्नयन/परिमार्जन किया जाता है।
2. रिटेल कार्य से संबंधित प्रदेश की सहकारिताओं के 2000 चयनित प्रतिभागियों का 30 सदस्यीय समूह में बनाकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण तथा NSDC की मूल्यांकन एजेंसी व्दारा प्रतिभागियों की परीक्षा ली जाती है।
3. इन प्रशिक्षणों के लिए प्रति प्रतिभागी रू. 1128/– NSDC व्दारा वहन किया जावेगा।
4. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा अधिकृत प्रशिक्षक NSDC से।

बालाघाट, सिवनी, छिन्दवाड़ा और नरसिंहपुर जिलों में बनेंगे गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए नए घर

भोपाल। म.प्र. हाउसिंग बोर्ड बालाघाट जिले में कटंगी, वारासिवनी और बैहर, सिवनी जिले में लखनादौन और घंसौर, छिन्दवाड़ा जिले में सौंसर, पाण्ढुर्ना और छिन्दवाड़ा तथा नरसिंहपुर जिले में करेली, गाडरवाड़ा और नरसिंहपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिये नए घर बनाएगा। हाउसिंग बोर्ड बालाघाट में नवीन ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण भी करेगा। ट्रांसपोर्ट नगर के लिये भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण हो गई है।

बोर्ड के अध्यक्ष श्री कृष्णमुरारी मोघे ने 31 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2017 तक इन जिलों का सघन दौरा किया। श्री मोघे की जिला कलेक्टरों से हुई विस्तृत चर्चा के दौरान उपरोक्त निर्णय लिये गये। श्री मोघे को जिला कलेक्टरों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बोर्ड को उपरोक्त स्थानों पर मकान बनाने के लिये भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। श्री मोघे ने इन जिलों में नवीन आवास योजनाओं के बारे में भी जिला कलेक्टरों से विस्तृत चर्चा की।

म.प्र. हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कृष्णमुरारी मोघे ने प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर एक नवम्बर को छिन्दवाड़ा में अटल आश्रय योजना के अन्तर्गत नव–निर्मित एकता परिसर का लोकार्पण किया। इस परिसर में 320 प्रकोष्ठों का निर्माण किया गया है।

लोकार्पण समारोह में विधायक श्री चन्द्रभान सिंह चौधरी, स्थानीय जन–प्रतिनिधि, हितग्राही और बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सदगुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,

ई–5/13, प्रथम तल, रविशंकर नगर अरेरा कालोनी, भोपाल

स्थिति–विवरण पत्रक दिनांक 31.03.2017

पूंजी एवं देनदारियां (राशि रूपयें में)

₹ शेष 31.03.2016	पूंजी एवं देनादारियां	राशि	₹ शेष 31.03.2017
अ	ब	स	द
	1) पूंजी		
50,000,000.00	**अधिकृत अंशपूजी**		50,000,000.00
	रू.100 प्रतिअंश की दर से 5,00,000 अंश		
	कुल राशि 5,00,00,000.00		
	इनमें से		
14,967,775.00	**1. प्रदत्त अंश पूंजी**		
	रू.25/100 प्रति अंश	15,758,775.00	**15,758,775.00**
	2. रक्षित एवं अन्य निधियां		**98,010,773.27**
19,904,018.24	1. रक्षित निधि	21,579,663.24	
11,944,276.08	2. भवन निधि	11,977,376.08	
2,693,997.50	3. लाभांश समतुल्यीकरण निधि	2,727,097.50	
22,130,791.74	4. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण कोष	24,036,673.92	
20,015,150.50	5. पुर्नमूल्यांकन निधि	18,013,635.50	
19,430,608.03	6. अन्य निधियां	19,676,327.03	
96,118,842.09	**(अनुसूचि–1)**	**98,010,773.27**	
-	**3. राज्य भागीदारी/मूल सहायक पूंजी में विनियोग**		-
	4. जमा एवं अन्य खातें		**850,495,250.98**
	अ. सावधि जमा		
525,458,217.81	1. व्यक्तिगत (अनुसूचि–2)	532,696,159.41	
-	2. केन्द्रीय सहकारी बैंक में	-	
23,789,954.00	3. अन्य समितियां (अनुसूचि–3)	23,251,830.00	
549,248,171.81		**555,947,989.41**	
	ब. बचत खाता		
197,911,982.63	1. व्यक्तिगत	225,277,223.54	
-	2. केन्द्रीय सहकारी बैंक में	-	
35,951,172.85	3. अन्य समितियां	33,516,454.05	
233,863,155.48		**258,793,677.59**	
	स. चालू खाता		
27,030,744.89	1. व्यक्तिगत	32,111,942.57	
-	2. केन्द्रीय सहकारी बैंक में	-	
3,716,308.49	3. अन्य समितियां	3,641,641.41	
30,747,053.38		**35,753,583.98**	
-	**द. अभियाचित एवं अल्पावधि अमानतें**		-
-	**5. आहरण *****	-	-
	6. वसूली योग्य बिल		
40,642.00	**7. शाखा समायोजन**	-	-
88,501,702.89	**8. कालातीत ब्याज प्रावधान**		**108,387,783.89**
3,392,981.00	**9. देय ब्याज प्रावधान**		3,838,069.00

सम्पत्तियां एवं आस्तियां (राशि रूपयें में)

₹ शेष 31.03.2016	सम्पत्तियां एवं आस्तियां	राशि	₹ शेष 31.03.2017
अ	ब	स	द
3,684,007.00	**1). (अ) रोकड**		2,860,410.00
	(ब). अन्य अधिकोषों के चालू खातों में जमा राशि		41,011,632.12
875,729.18	**1. भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल**	205,307.18	
-	**2. राष्ट्रीयकृत बैंकों में**	-	
2,653,343.72	अ. युकों बैंक, हबीबगंज, भोपाल	4,613,262.72	
22,100.00	ब. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, अरेरा हिल्स शाखा	22,100.00	
6,610,167.00	स. आईडीबीआई बैंक, टी.टी.नगर शाखा	1,120,789.00	
14,915,145.97	द. आईडीबीआई बैंक, टी.टी.नगर शाखा (क्लियरिंग खाता)	14,536,731.85	
-	इ. युनियन बैंक आफ इंडियां, टी.टी. नगर शाखा	30,497.00	
24,200,756.69		**20,323,380.57**	
	3. भारतीय स्टेट बैंक एवं उनके सहायक बैंकों में		
9,270.00	अ. भारतीय स्टेट बैंक , एमपी नगर शाखा	7,627.00	
9,020,237.00	ब. भारतीय स्टेट बैंक , टी.टी नगर शाखा	204,742.50	
2,806,016.01	स. स्टेट बैंक आफ ट्रावनकौर, अरेरा कालोनी	1,667,408.51	
521,355.00	द. स्टेट बैंक आफ इन्दौर, टी.टी.नगर शाखा	20,092.50	
-	इ. भारतीय स्टेट बैंक़ टी.टी. नगर (एटीएम)	15,600,000.00	
-	फ. भारतीय स्टेट बैंक टी.टी. नगर (एटीएम ट्रांजेक्शन खाता)	2,916,250.37	
12,356,878.01		**20,416,120.88**	
	4. म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में		
52,590.07	अ. महाराणा प्रताप नगर शाखा	43,201.07	
52,590.07		**43,201.07**	
	5. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में		
1,343,373.02	अ. टी.टी. नगर शाखा	5,346.27	
23,115.60	ब. 1100 क्वार्टर शाखा	18,276.15	
1,366,488.62		**23,622.42**	
	2. अन्य बैंकों में शेष		**3,349,972.85**
3,561,581.26	अ) एचडीएफसी बैंक लि., अरेरा कालोनी शाखा भोपाल	3,109,949.08	
1,000.00	ब) एचडीएफसी बैंक (वेकअप क्लियरिंग खाता)	1,000.00	
11,638.84	स) आईसीआईसीआई बैंक, एम.पी.नगर शाखा, भोपाल	74,869.78	
179,587.94	द) एक्सिस बैंक, अरेरा कालोनी शाखा भोपाल	164,153.99	
3,753,808.04		**3,349,972.85**	
-	**3. अभियाचित एवं अल्पावधि अमानतें**		-
	4.विनियोगं		**479,416,901.00**
	1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
72,059,685.00	अ. केन्द्रीय सरकार	75,480,380.00	
97,546,843.00	ब. राज्य सरकार	107,561,210.00	
-	2. ट्रेजरी बिल्स	-	

पूंजी एवं देनदारियां (राशि रूपयें में)

₹ शेष 31.03.2016	पूंजी एवं देनादारियां	राशि	₹ शेष 31.03.2017
अ	ब	स	द
	10. अन्य देयताऐं/देनदारियां		**37,446,862.40**
158,243.00	1. भुगतान योग्य बिल्स	158,243.00	
3,278,664.95	2. लाभांश देय	3,653,379.45	
26,899,298.28	3. विविध (अनुसूचि–4)	33,635,239.95	
30,336,206.23		**37,446,862.40**	
	11. लाभ–हानि खाता	-	**6,885,797.98**
6,606,266.18	**वर्ष का लाभ, लाभ–हानि खातें से लाया गया**	**6,885,797.98**	
6,606,266.18			
1,053,822,796.06	**योग**		**1,120,823,312.52**
	14. आकस्मिक देयताऐं		**1,694,683.00**
2,737,000.00	1. बैंक ग्यारंटी इश्यु	1,000,000.00	
158,973.00	2. कर्मचारी भविष्य निधि	158,973.00	
535,710.00	3. आयकर मांग हेतु दायित्व	535,710.00	
1,057,254,479.06	**कुल योग**		**1,122,517,995.52**

सदगुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,
ई–13, प्रथम तल, रविशंकर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल
लाभ–हानि खाता 2016–2017

व्यय (राशि रूपयें में)

राशि 2015–2016	विवरण–व्यय	राशि	राशि 2016–2017
49,700,685.76	**1. अमानतों/आहरण पर ब्याज**		**51,082,027.99**
	(50913942.99+161991.00+6094.00)	51,082,027.99	
	2. कर्मचारी वेतन एवं भत्तें तथा भाविष्य निधि		**13,950,996.00**
11,972,407.00	अ. वेतन एवं भत्तें	12,564,929.00	
1,302,868.00	ब. कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान	1,386,067.00	
13,275,275.00		**13,950,996.00**	
392,700.00	**3. संचालकों की बैठक शुल्क एवं भत्तें**		**384,200.00**
	(60200.00+324000.00)		
	4. किराया, कर, बीमा एवं विद्युत व्यय आदि		**2,072,753.98**
161,174.00	1. किराया	175,802.00	
63,254.00	2. पानी व्यय	89,399.00	
2,500.00	3. प्रोफेशनल टैक्स	2,500.00	
130,000.00	4. सम्पत्ति कर	109,176.00	
784,498.00	5. बीमा प्रीमियम	861,587.00	
448,782.00	6. विद्युत व्यय	509,193.00	
16,771.00	7. गत वर्षो के आयकर का भुगतान	87,386.00	
161,327.86	8. सेवाकर	237,710.98	
1,768,306.86		**2,072,753.98**	
176,406.00	**05. कानूनी व्यय**		**127,248.60**

सम्पत्तियां एवं आस्तियां (राशि रूपयें में)

₹ शेष 31.03.2016	सम्पत्तियां एवं आस्तियां	राशि	₹ शेष 31.03.2017
अ	ब	स	द
-	3. अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में	-	
100.00	4. सहकारी संस्थाओं के अंश (भोपाल को–आप. बैंक)	100.00	
	5. अन्य निवेश		
-	1. युनियन बैंक आफ इंडिया, मालवीय नगर शाखा (एफडीआर)	37,500,000.00	
1,500,000.00	2. आईडीबीआई बैंक (टीडीआर)	5,500,000.00	
20,993,636.00	3. स्टेट बैंक आफ ट्रावनकौर, अरेरा कालोनी (टीडीआर)	16,493,636.00	
20,800,000.00	4. यूकों बैंक, कोलार रोड (टीडीआर)	21,025,898.00	
8,947,681.00	5. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडियां शाहपुरा शाखा (टीडीआर)	9,619,037.00	
28,382,419.00	6. केनरा बैंक, अरेरा कालोनी शाखा (टीडीआर)	28,382,419.00	
26,414,082.00	7. ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स (टीडीआर)	-	
36,100,000.00	8.दा शामराओं विटठल को–आप बैंक (टीडीआर)	40,481,798.00	
35,000,000.00	9. बैंक आफ इंडिया टी.टी.नगर (एफडीआर)	12,500,127.00	
35,008,018.00	10. पंजाब एण्ड सिंध बैंक (टीडीआर)	8,000,000.00	
-	11. स्टेट बैंक आफ इंडिया, टी टी.नगर शाखा (टीडीआर)	2,000,000.00	
36,083,241.00	12. बंधन बैंक भोपाल (टीडीआर)	39,289,081.00	
-	13. आईडीएफसी बैंक लि. (टीडीआर)	39,500,063.00	
2,845,152.00	14. पीएफसी टैक्स फ्री बाण्ड	2,845,152.00	
16,398,000.00	15. हुडकों टैक्स फ्री बाण्ड	16,398,000.00	
10,000,000.00	16. रूरल इलेक्टिीफिकेशन कार्पो. लि,	10,000,000.00	
1,510,000.00	17. इंडियन रेल्वे फायनेंस कार्पोरेशन लि.	1,510,000.00	
3,627,000.00	18. नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया	3,627,000.00	
1,703,000.00	19. इंडियन रिनेवल ऐनर्जी डेव्लपमेंट ऐजेंसी लि.	1,703,000.00	
454,918,857.00		**479,416,901.00**	
-	**5. राज्य भागीदारी/मूल सहायक पूंजी में विनियोग**	-	-
	6. ऋण एवं अग्रिम		**420,981,671.98**
	अ. अल्पावधि ऋण		
26,372,056.00	1. सावधि जमा की प्रतिभूतियों पर	19,273,762.00	
703,552.30	2. अन्य प्रतिभूतियों पर (व्यक्तिगत ऋण)	549,770.30	
2,383,202.36	3. अन्य उददेश्यों हेतु अल्पावधि ऋण	2,530,791.44	
832,903.00	4. स्वर्णाभूषण पर	939,229.00	
78,885,237.20	5. अधिविकर्ष (व्यक्तिगत)	92,115,210.12	
45,900,199.84	6. नकद साख सीमा	49,959,568.02	
323,778.05	7. नकद साख सहकारी समितियां	323,778.05	
2,005.00	8. कर्मचारी अग्रिम	12,077.00	
18,905.50	9. बिल्स डिस्कांउटिंग	18,905.50	
155,421,839.25		**165,723,091.43**	
84,556,334.87	**ब. मध्यम अवधि ऋण**	87,732,267.70	
161,590,667.50	**स. दीर्घ अवधि ऋण**	167,526,312.85	
246,147,002.37		**255,258,580.55**	
	7. प्राप्ति योग्य ब्याज		**128,728,397.56**
15,790,811.57	1. विनियोजन पर	20,340,613.67	
88,501,702.89	2. ऋण एवं अग्रिम पर (एनपीए)	108,387,783.89	
104,292,514.46		**128,728,397.56**	
-	**8. वसूली योग्य बिल**		-
-	**9. शाखा समायोजन**	-	**338,600.97**

व्यय			(राशि रूपयें में)
राशि 2015–2016	विवरण–व्यय	राशि	राशि 2016–2017
	06. डाक–तार एवं दूरभाष		**294,025.04**
20,520.00	1. डाक–तार	19,180.00	
255,861.44	2. दूरभाष व्यय	274,845.04	
276,381.44		**294,025.04**	
	07. अंकेक्षण शुल्क		**204,000.00**
197,000.00	1. संगामी लेखा परीक्षक शुल्क	204,000.00	
197,000.00		**204,000.00**	
	08. सम्पत्तियों पर ह्रास एवं मरम्मत		**1,723,505.00**
291,154.00	1. फर्नीचर एवं फिक्सचर	262,344.00	
161,734.00	2. भूमि एवं भवन	160,560.00	
641,240.00	3. कम्प्युटर	745,878.00	
1,025.00	4. वातानुकूलक रखरखाव व्यय	-	
97,291.00	5. भवन रखरखाव व्यय	16,441.00	
8,166.00	6. सीसीटीव्ही रखरखाव व्यय	17,500.00	
308,029.00	7. कम्प्यूटर रखरखाव व्यय	306,058.00	
6,500.00	8. इन्वर्टर रखरखाव व्यय	-	
205,940.00	9. युपीएस बेटरी	15,000.00	
12,500.00	10.नोट काउंटिग मशीन रखरखाव व्यय	20,175.00	
9,333.00	11.सिक्युरिटी अलार्म सिस्टम रखरखाव व्यय	20,000.00	
75,163.00	12. लीज रेंट एवं मोडम चार्जेस	152,715.00	
-	13. लिफ्ट रखरखाव व्यय	6,834.00	
1,818,075.00		**1,723,505.00**	
	09. लेखन सामग्री, मुद्रण एवं विज्ञापन		**221,030.81**
413,484.41	1. लेखन सामग्री एवं मुद्रण(67447.67+47460.50– 2700.36)	112,207.81	
217,027.00	2. विज्ञापन व्यय	108,823.00	
630,511.41		**221,030.81**	
-	**10. गैर–बैंककारी सम्पत्तियों के व्यवहार या विक्रय से हुई हानि**		-
	11. अन्य व्यय		**3,579,747.89**
517,495.00	1. दैनिक जमा योजना अभिकर्ताओं को भुगतान कमीशन	419,260.00	
38,704.00	2. अल्प मरम्मत एवं क्रय (74735.20+27420.00)	102,155.20	
90,150.00	3. सफाई एवं स्वच्छता व्यय	88,012.00	
2,585.00	4. समाचार पत्र एवं पत्रिकाऐं	2,549.00	
766,149.00	5. ग्रेच्युटी प्रीमियम	-	
12,500.00	6. नगर निगम लायसेंस शुल्क	12,500.00	
221,509.00	7. वार्षिक साधारण सभा व्यय	232,415.00	
75,900.00	8. प्रोफेशनल सर्विस चार्जेस	36,544.00	
164,738.00	9.सरकारी प्रतिभूतियों की प्रीमियम का परिशोधन	184,488.00	
104,375.00	10.फोटों कापी व्यय	125,765.00	
324,282.50	11.स्थानीय परिवहन व्यय	372,312.00	
32,680.00	12.मेम्बरशिप एवं डेलीगेशन शुल्क	32,950.00	
150,000.00	13.कर्मचारी मेडीक्लेम पालिसी प्रीमियम	175,000.00	
5,725.00	14.ऋण आसूचना ब्यूरों (सिविल) व्यय	-	
126,813.00	15.कर्मचारी/भृत्यों की वर्दी व्यय	69,523.00	
97,191.00	16.कर्मचारी भविष्य निधि स्थापना व्यय	98,843.00	

सम्पत्तियां एवं आस्तियां (राशि रूपयें में)

₹ शेष 31.03.2016	सम्पत्तियां एवं आस्तियां	राशि	₹ शेष 31.03.2017
अ	ब	स	द
1,605,601.20	**10. भूमि एवं भवन**		**1,445,041.20**
	अ. न्यू मार्केट (653147.20-65314=587833.20)		
	ब. प्रधान कार्यालय (456469.00-45647.00=410822.00)		
	स. अरेरा कालोनी (495985.00-49599.00=446386.00)		
20,015,150.50	**11. सम्पत्तियों का पूर्नमूल्यांकन (भवन)**		**18,013,635.50**
	अ. न्यू मार्केट (6872647.00-687265.00=6185382.00)		
	ब. अरेरा कालोनी (4787480.20-478748.00=4308732.20)		
	स. प्रधान कार्यालय (8355023.30-835502.00=7519521.30)		
	12. फर्नीचर एवं फिक्सचर (अवक्षयण घटाकर)		**3,113,269.05**
2,606,482.20	अ. फर्नीचर एवं फिक्सचर	**2,341,249.04**	**-**
	(2606482.20+23925.00+20985.84-47800.00-262344.00)		
1,113,643.01	ब. कम्प्यूटर/इन्कोडर	**772,020.01**	**-**
3,720,125.21	(1113643.01+404255.00 - 745878.00)	**3,113,269.05**	
	13. अन्य सम्पत्तियां		**21,563,780.29**
3,100.00	1. भवन प्रतिभूति जमा (भेल)	3,100.00	
83,900.00	2. दूरभाष एवं विद्युत प्रतिभूति	82,479.00	
6,556.00	3. पुस्तकालय (6556.00+1150.00)	7,706.00	
694,683.00	4. विविध अग्रिम खाता	1,100,782.00	
12,500.00	5. भेल में प्रतिभूति जमा (विद्युत)	12,500.00	
10,000.00	6. जल हेतु प्रतिभूति जमा	10,000.00	
244,786.46	7. लेखन सामग्री स्टाक	403,429.29	
52,842.00	8. अग्रिम फिंज बेनेफिट टैक्स	52,842.00	
6,799,847.00	9. निवेशों पर टीडीएस कटोत्रा	6,988,708.00	
13,451,234.00	10. अग्रिम आयकर	12,851,234.00	
4,000.00	11.भू–स्वामी को प्रतिभूति जमा	4,000.00	
48,000.00	12. पूर्वदत्त व्यय	47,000.00	
21,411,448.46		**21,563,780.29**	
1,053,822,796.06	**योग**		**1,120,823,312.52**
-	**14. आकस्मिक आस्तियां**		**1,694,683.00**
2,737,000.00	1. बैंक ग्यारंटी इश्यु	1,000,000.00	-
158,973.00	2. कर्मचारी भविष्य निधि	158,973.00	-
535,710.00	3. आयकर मांग	535,710.00	-
1,057,254,479.06	**कुल योग**		**1,122,517,995.52**

वास्ते सदगुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

सही/–	सही/–	सही/–	सही/–	सही/–
प्रबंधक	**प्रभारी मु.का.अधि.**	**संचालक**	**उपाध्यक्षा**	**अध्यक्ष**

व्यय			(राशि रूपयें में)
राशि 2015–2016	विवरण–व्यय	राशि	राशि 2016–2017
34,317.00	17.कर्मचारी डिपाजिट लिंग इंश्योरेंस में अंशदान	33,172.00	
1,807.00	18.लीव इंन्केशमेंट लाईफ कव्हर प्रीमियम	1,952.00	
358,870.00	19.सुरक्षा सेवा व्यय	354,283.00	
11,405.00	20. फर्नीचर/फिक्सचर के विकय पर हानि	25,414.16	
26,507.00	21.ग्रेच्युटी लाईफ कव्हर प्रीमियम	27,797.00	
9,120.00	22. वेवसाईट डेवलपमेंट व्यय	9,200.00	
84,779.00	23.लीव इंन्केशमेंट एक्चुरीज	213,635.00	
18,000.00	24.मोबाईल बैंकिग सेवा व्यय	16,000.00	
654,381.00	25. सिल्वर जुबली गतिविधि व्यय	291,032.00	
76,482.00	26. शैक्षणिक पुरूस्कार वितरण व्यय	97,039.00	
-	27.क्लियरिंग हाऊस रख–रखाव व्यय	2,863.00	
-	28. नकद हेंडलिंग व्यय	43,742.00	
-	29.विविध व्यय (623268.00–444989.47)	178,278.53	
-	30. एटीएम व्यय	329,074.00	
-	31.कर्मचारी टीए एवं डीए	3,950.00	
4,006,464.50		**3,579,747.89**	
	12. रक्षित एवं अन्य निधियां		**250,600.00**
230,000.00	1. स्पेशल रिजर्व	250,600.00	
-	2. अशोध्य एवं डूबंत ऋण कोष	-	
230,000.00		**250,600.00**	
	13. प्रावधान		**2,238,950.00**
44,000.00	1. सहकारी संघ चंदा	47,000.00	
71,070.00	2. आस्थगित कर	77,450.00	
99,000.00	3. वेद्यानिक अंकेक्षण शुल्क	99,000.00	
177,049.00	4. बोनस देय	150,500.00	
1,566,000.00	5. आयकर हेतु प्रावधान	1,865,000.00	
1,957,119.00		**2,238,950.00**	
6,606,266.18	**14. शुद्ध लाभ 2016–2017**		**6,885,797.98**
81,035,191.15	**कुल योग**		**83,014,883.29**

आय			(राशि रूपयें में)
राशि 2015–2016	विवरण–आय	राशि	राशि 2016–2017
	1. ब्याज एवं मितिकाटा		**81,569,079.70**
39,901,349.41	1. ऋण एवं अग्रिम पर	41,274,989.11	
38,877,243.00	2. विनियोजन पर	40,294,090.59	
78,778,592.41		**81,569,079.70**	
35,472.19	**2. कमीशन, विनिमय एवं दलाली**		**18,436.59**
-	**3. साहियकी और संदान**		**-**
-	**4. गैर बैंककारी सम्पत्तियों से आय तथा ऐसी**		**-**
	सम्पत्तियों के विकय या उनमें किये गये व्यवहार		
	में हुआ लाभ		
	5. अन्य प्राप्तियां		**1,427,367.00**
552,171.00	1.लाकर किराया	549,405.00	
582.00	2. अंश हस्तांतरण शुल्क	394.00	
409,448.00	3. प्रोसेसिंग फीस	478,943.00	
575.00	4. नाममात्र सदस्यता शुल्क	620.00	
527,487.55	5. अन्य आय	-	
	6. ऋण आसूचना ब्यूरों (सिविल) फीस	9,934.00	
	7. निधियों से हस्तांतरण (आयकर अदा किया गया है)		
654,381.00	अ. रजत जंयती निधि	291,032.00	
76,482.00	ब. शैक्षणिक पुरूस्कार निधि	97,039.00	
2,221,126.55		**1,427,367.00**	
-	**6. हानि (यदि कोई हो तो)**		-
81,035,191.15	**कुल योग**		**83,014,883.29**

वास्ते सदगुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

सही/–	सही/–	सही/–	सही/–	सही/–
प्रबंधक	प्रभारी मु.का.अधि.	संचालक	उपाध्यक्षा	अध्यक्ष

सदगुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

अनुसूचि–1	रक्षित एवं अन्य निधियां	(राशि रूपयें में)
31.03.2016	**विवरण**	**31.03.2017**
9,249,269.13	1. विकास निधि	9,282,369.13
125,000.00	2. सामान्य हित निधि	125,000.00
1,733,109.00	3. कर्मचारी कल्याण निधि	1,766,209.00
396,960.00	4. दान निधि	463,025.00
269,907.75	5. शैक्षणिक पुरूस्कार निधि	205,968.75
1,158,204.43	6. मानक सम्पत्तियों के प्रति आक. प्रावधान	1,158,204.43
456,479.72	7. कर्मचारी खेल एवं सांस्कृतिक निधि	489,579.72
812,810.00	8. निवेश हृास निधि	812,810.00
1,360,427.00	9. रजत/स्वर्ण जंयती निधि	1,085,895.00
850,000.00	10. वाहन कय निधि	858,300.00
2,121,232.00	11. स्पेशल रिजर्व	2,371,832.00
367,359.00	12. प्रशिक्षण निधि	493,984.00
479,850.00	13. निवेश उतार–चढाव निधि	479,850.00
50,000.00	14. संगोष्ठी/सम्मेलन फण्ड	83,300.00
19,430,608.03	**योग**	**19,676,327.03**

अनुसूचि–2	सावधि जमा व्यक्तिगत	(राशि रूपयें में)
31.03.2016	**विवरण**	**31.03.2017**
	1. सावधि जमा खाता	
97,445,533.00	अ. व्यक्तिगत	97,983,321.00
-	ब. संस्थागत	-
	2. द्विगुणित जमा	
400,164,237.40	अ. व्यक्तिगत	409,234,002.00
842,722.00	ब. संस्थागत	481,161.00
7,142,450.00	**3. आवर्ति जमा योजना**	7,105,850.00
14,696,384.00	**4. दैनिक जमा योजना**	12,052,404.00
4,816,937.00	**5. समृद्ध सुकन्या जमा योजना**	5,495,467.00
349,954.41	**6. सन्ड्री जमा खाता**	343,954.41
525,458,217.81	**योग**	**532,696,159.41**

अनुसूचि–3	सावधि जमा (अन्य समितियां)	(राशि रूपयें में)
31.03.2016	**विवरण**	**31.03.2017**
2,219,754.00	1. सावधि जमा समितियां	16,497,764.00
21,570,200.00	2. द्विगुणित जमा समितियां	6,754,066.00
23,789,954.00	**योग**	**23,251,830.00**

अनुसूचि–4	विविध (अन्य देयताऐं)	(राशि रूपयें में)
31.03.2016	**विवरण**	**31.03.2017**
99,000.00	1. अंकेक्षण शुल्क देय	99,000.00
194,235.00	2. सहकारी संघ चंदा देय	197,235.00
30,075.00	3. अंश आवंटन	37,775.00
184,608.00	4. बोनस/एक्शग्रेशिया	158,059.00
8,461,423.11	5. पेमेंट आर्डर	15,669,824.11
223,394.40	6. विविध लेनदार	223,394.40
15,000.00	7. गार्ड हेतु सुरक्षा निधि	15,000.00
-	8. कर्मचारी प्रतिभूति जमा	-
1,700.00	9. आयकर/टीडीएस देय	7,900.00
16,910,261.00	10. आयकर हेतु प्रावधान	16,366,761.00
52,842.00	11. फ्रिंज बेनेफिट टैक्स हेतु प्रावधान	52,842.00
11,297.77	12. सेवाकर	14,537.44
655,462.00	13. आस्थगित कर देयताऐं	732,912.00
60,000.00	14. दैनिक जमा योजना ऐजेंट हेतु सुरक्षा निधि	60,000.00
26,899,298.28	**योग**	**33,635,239.95**

सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

मैं, निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता हूं कि मैंने, सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का वर्ष 2016–17 का अंकेक्षण, पंजीयक, सहकारी समितियां, मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित प्रणाली सेपूर्ण किया।

बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र विधिवत् सही व नियमानुसार होकर बैंक द्वारा सुरक्षित रखा गया है।

मैंने सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल के 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय पत्रक तथा लाभ–हानि पत्रक का परीक्षण संबंधित लेखाओं से किया है।

मैं सूचित करता हूं कि :–

1. मेरे मत से बैंक का व्यवहार साधारणतः सही व ईमानदारी से बैंक उपनियिमों, सहकारी संस्थाओं की प्रचलित धाराओं, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों, पंजीयक द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों एवं बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 जो सहकारी बैंको पर लागु होता है के अनुसार है व पाई गई त्रुटियों का उल्लेख अंकेक्षण टीप में है।
2. मेरी जानकारी के अनुसार जो मुझे दर्शित कराया गया तथा बैंक को जो रजिस्टर्स मुझे बताये गये, उसके अनुसार स्थिति विवरण पत्रक मेरे द्वारा प्रस्तुत टीप के अधीन आक्षेपों की पूर्ति होने पर परिपूर्ण तथा ठीक है।
3. जब कभी मैंने स्पष्टीकरण अथवा सूचना प्राप्त करनी चाही, प्रस्तुत टीप के अधीन मुझे सूचना व स्पष्टीकरण बैंक द्वारा दिये।
4. अधिकोष के व्यवहार जो मेरी जानकारी में आये, प्रस्तुत टीप के अधीन अधिकोष के कार्यों की सीमा में हुए।
5. अधिकोष का लाभ–हानि पत्रक प्रस्तुत टीप के अधीन शुद्ध लाभ का सही विवरण प्रस्तुत करता है।
6. मेरे मत से अधिकोष के स्थिति विवरण व लाभ–हानि पत्रक, प्रस्तुत टीप के अधीन नियमानुसार बनाये गये है तथा हिसाब खाते रखे गये है।

अतः मैं, अधिकोष को पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश द्वारा प्रसारित निर्देशों में दी गई कसौटियों के आधार पर '' अ '' वर्ग प्रदान करता हूं।

दिनांक 24.08.2017
स्थान– भोपाल

कृते मिश्रा तिवारी एंड एसोशियेट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–005188C
सही/–
सीए संजय मिश्रा
(भागीदार) एम.नं.073946

SHREE BALAJI URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD.
Balance Sheet As on 31st March 2017

As on		Capital & Liabilities (Rs)	As on	As On		Property & Assets (Rs)	As on
31.03.2016			31.03.2017	31.03.2016			31.03.2017
	1)	**Capital**			1)	**Cash**	
				8343450.00	a)	Cash In Hand	12810718.00
	(I)	Authorised Capital 200000/- shares		0.00	b)	Balance with RBI	0.00
20000000.00		of Rs. 100/- Each	20000000.00	43165885.50	c)	Balance with SBI	77342783.50
				19884218.09	d)	Balance with Dist.Central	246960.35
	(ii)	Subcribed Capital 107902 Shares of				Co-op. Bank	
10549500.00		Rs.100/-each (Previous year 105495 Shares)	10790200.00	**71393553.59**			**90400461.85**
					2)	**Balance with other Banks**	
				33106388.38	(I)	Current Deposits	38767675.28
10549500.00	a)	of the above held by Individuals etc.	10790200.00				
	b)	Co-op. Institution		132637526.00	(ii)	Fixed Deposits	205038485.00
	c)	State Govt.					
				165743914.38			**243806160.28**
10549500.00			10790200.00				
9555.00	(iii)	Nominal Capital	9695.00				
10559055.00			**10799895.00**				
	2)	**Reserve Fund & other Reserves**		0.00	3)	Money at call & short notice	0.00
57595744.00	(I)	Statutory Reserve	64595744.00				
24389765.33	(ii)	Building Fund	27522015.33	**60906745.00**	4)	Investments- 77127710.00	**75371132.00**
10397000.00	(iii)	Bad & Doubtful Reserve	12147000.00			Less:- Amortisation- 1756578.00	
2109000.00	(iv)	Proposed Dividend	2120000.00				
2966276.00	(v)	Investment Depreciation Reserve	2966276.00		5)	Investments out of the Principal /Subsidiary	
1700000.00	(vi)	Investment Fluctuation Reserve	3700000.00				
99157785.33			**113051035.33**	0.00		State Partnership A/c	0.00
					6)	**Advances**	
					(I)	Short Term Loans	
				180170681.97		Cash credit, Over Drafts & Bills Discounted	154211003.84
				180170681.97		Of which secured against tangible securities	154211003.84
	3)	**Principal / Subsidiary State**		180170681.97		Of the advances amount due from individual	154211003.84
0.00		Partnership fund Account	0.00				
	4)	**Deposit and other Accounts**				of the advance amount	
				0.00		overdue	0.00
	I)	**Fixed Deposits**					
280194712.66		a) Individual etc	274495810.66	1564524.00		considered Bad & doubtful of recovery	204222.00
555765.00		b) Central Co-op.Bank & other societies	568231.00				
	II)	**Saving Banks Deposits**		64603102.81	ii)	Medium Term Loans	71435406.65
87693733.46		a) Individual etc.	116571416.66			of which secured against tangible securities	
406607.00		b) Central Co-op.Bank & other societies	300302.84				
	III)	**Current Deposits**		64603102.81		of the advances amount due from individual	71435406.65
50426072.86		a) Individual etc.	69414906.95				
5415.90		b) Central Co-op.Bank & other societies	4710.90				
				0.00		of the advance amount over due	0.00
0.00	IV)	Money at Call & Short Notice	0.00				
419282306.88			**461355379.01**	1724122.00		considered Bad & doubtful of recovery.	2015193.00
	5)	**Borrowings**		**244773784.78**			**225646410.49**
0.00	(I)	From RBI/State/Central Co-op.Banks	0.00	0.00	7)	Bills Purchased	0.00
				2986037.00	8)	**Interest Receivable**	3613445.00
10528775.05	ii)	From SBI	15319941.24			Investment 1393565.00	
0.00	iii)	From Madhyanchal Gramin Bank	16749370.97			Add: NPA Advance 2219880.00	
			32069312.21			(as per contra)	
0.00	iii)	From State Govt.	0.00	15678850.84	9)	Bills Cheques receivable being bills for collection	2076885.75
	iv)	From Other Banks				(as per contra)	
0.00		a) Short Term over draft facility	0.00				
				0.00	10)	Branch Adjustments	0.00

As on		Capital & Liabilities (Rs)	As on	As On		Property & Assets (Rs)	As on
31.03.2016			31.03.2017	31.03.2016			31.03.2017
0.00	6)	Bills for Collection being bills	0.00				
		receivable (as per contra)		0.00	11)	Premises	0.00
						Less: Depreciation	
0.00	7)	Branch Adjustments	0.00				
				406083.00	12)	a) Furniture & fittings	365475.00
				0.00		Addition:-	284859.60
1980305.00	8)	Overdue Interest Reserve	2219880.00	40608.00		Less: Depreciation	50791.00
		(As per Contra)		**365475.00**			**599543.60**
0.00	9)	Interest Payable	0.00				
				369895.00		b) Vehicle	314411.00
				0.00		Addition:-	64000.00
				0.00		Less: Sale	0.00
	10)	**Other Liabilities & Provisions**		55484.00		Less: Depreciation	56762.00
				314411.00			**321649.00**
0.00	I)	Bills /DD Payable	0.00				
1841190.00	ii)	Dividend Payable	2522853.00	78267.00		c) Computer etc.	55117.00
0.00	iii)	Suspense/Sundries	0.00	26900.00		Addition:-	67750.00
3490042.50	iv)	Bankers Cheque payable	3376323.00	50050.00		Less: Depreciation	68734.00
966000.00	v)	Prov. for Standard Assets	966000.00	**55117.00**			**54133.00**
49496.00	vi)	Advance Income	86322.00				
278456.00	vii)	Liabilities for Expenses	323583.00	284429.00		d) Electrical Equip.& install.	333140.00
519126.00	viii)	TDS Payable	493971.00	107500.00		Addition:-	58350.00
0.00	ix)	Provision for Distt.Co-op. Union Subs	0.00	0.00		Less: Sale	0.00
601900.00	(xi)	Provision for Gratuity	663050.00	58789.00		Less: Depreciation	58562.00
0.00	(xii)	Prov for Sub-Standard Assets	0.00	**333140.00**			**332928.00**
					13)	**Other Assets**	
				167703.93	a)	Stationery Stock	249380.65
	11)	Profit and Loss		60360.00	b)	Security Deposits	60360.00
13368351.07		Profit as per last balance sheet	13524954.76	0.00	c)	Prepaid Expenses	16300.00
21208104.69		Add: Profit for the year (Subject to Taxation)	24133809.31	300.00	d)	Stamps & Stamped papers	0.00
				0	e)	Suspense recoverable	70000.00
34576455.76			37658764.07				
21051501.00		Less: Appropriations/ Taxation	22967578.00				
13524954.76			**14691186.07**				
				228363.93			**396040.65**
562779392.52		**Grand Total**	**642618789.62**	**562779392.52**			**642618789.62**

0.00	I)	Outstanding Liabilities for Bank Guarantees issued (Net of Margin)	0.00
0	ii)	Others	0.00
0.00			0.00

Note : The Word "INDIVIDUAL : DENOTES EXCLUDING Co-op. Bank & Co-op. Societies.

Place : SATNA
Date : 20.07.2017

Sd/-
Raj Bahor Tiwari
CEO

Sd/-
Nitin Daga
Director

Sd/-
Pankaj Daga
Vice Chairman

Sd/-
C S Puri
Chairman

For; SPJV & Co.
Chartered Accountants
Sd/-
CA Prashant Jain
Partner
M. no 405393
FRN.116884W

SHREE BALAJI URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD.

Profit & Loss A/c for the year ended 31st March 2017

As on		Expenditure (Rs.)	As on	As On		Income (Rs.)	As on
31.03.2016			31.03.2017	31.03.2016			31.03.2017
23913995.73	1)	Interest on deposits, borrowing etc.	29090133.19	48290532.53	1)	Interest & discount	56284697.40
3252255.00	2)	Salaries & Allowances & Provident fund	3295196.00	2325356.70	2)	Commission, exchange & brokerage.	2003552.89
36000.00	3)	Directors & Local Committee Members fees & Allowances	36000.00	0.00	3)	Income from non- banking assets and profit from sale or dealing with such assets	0.00
1427044.00	4)	Rent,taxes, insurance,lighting etc.	1538542.00				
330257.00	5)	Law charges & professional fees	308977.00	1695736.70	4)	Other receipts	1704605.44
178245.00	6)	Postage, telegram & telephonic charges	92785.00	0.00	5)	Loss (if any)	0.00
55000.00	7)	Audit fees	28750.00				
218960.00	8)	Depreciation & repairs in property	249792.00				
474006.92	9)	Stationery, printing & advertisement etc.	546887.28				
0.00	10)	Loss from sale of or dealing with non banking assets	0.00				
753057.59	11)	Other expenditures	579683.95				
464700.00	12)	Provision for standard/ sub standard assets	92300.00				
0.00	13)	Provision for dist.co-op. union subs.	0.00				
21208104.69	14)	Balance C/F	24133809.31				
1300000.00	15)	Transfer for Bad Debts Reserve	1750000.00	21208104.69		By balance of profit b/d	24133809.31
4500000.00	16)	Transfer for Statutory Reserve	7000000.00				
2500000.00	17)	Transfer for Building Fund	3000000.00				
2109000.00	18)	Transfer for Proposed Dividend	2120000.00				
1700000.00	19)	Transfer for Investment Fluctuation Reserve	2000000.00				
8942501.00	20)	Provision for Income Tax	7097578.00				
156603.69	20)	Balance of Profit	1166231.31				
21208104.69		**Grand Total**	**24133809.31**	**21208104.69**		**Grand Total**	**24133809.31**

Place : SATNA
Date : 20.07.2017

Sd/-
Raj Bahor Tiwari
CEO

Sd/-
Nitin Daga
Director

Sd/-
Pankaj Daga
Vice Chairman

Sd/-
C S Puri
Chairman

For; SPJV & Co.
Chartered Accountants
Sd/-
CA Prashant Jain
Partner
M. no 405393
FRN.116884W

SHREE BALAJI URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD.

AUDITOR'S CERTIFICATE

I under signed auditor hereby certify that audit of **SHREE BALAJI URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD., SATNA (MP)** Reg No HO/211 Dated 08.07.1999 for the year ended 31st March 2017 has been completed in accordance with the rules, bye laws of the bank and instructions issued by the Registrar, co-operative Societies M.P. Bhopal from time to time.

The Balance Sheet as on 31st March 2017 and the Profit & Loss Account for the year ended 31.03.2017 have been prepared according to the Books of Account maintained by the Bank.

In my opinion :

1. The bank has conducted its business in accordance with the bank's bye laws, provisions contained therein and in conformity with the M.P. Co-operative Societies Act. As well as the administrative instructions issued by the Registrar Co-op. Societies M.P. Bhopal from time to time. The work has been conducted in accordance with the directions given in the Banking Regulation Act in force.
2. The Balance Sheet is true and correct and shows all the required information about Banks' position which was brought to my notice and reflected in the books and incorporated there in.
3. All the information whenever asked for was put timely before me to my satisfaction.
4. The transactions of the Bank which have come to my notice have been within competence of the Bank.
5. For the purpose of audit whatever statements were put up before me to my satisfaction.
6. That the profit and loss account shows a true balance of Profit for the year covered by such audit.
7. In my opinion the Balance Sheet & Profit & Loss have been drawn up in conformity with the law and in agreement therewith.
8. That in my opinion, proper books of account have been kept by the bank as required by law.

The Bank is awarded 'A' Classification

Place : SATNA
Date : 20.07.2017

For; SPJV & Co.
Chartered Accountants
Sd/-
CA Prashant Jain
Partner
M. no 405393
FRN.116884W

मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का ब्लॉग

प्रगति के पथ पर मध्यप्रदेश

भारत के हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश का आज 62वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। मध्यप्रदेश आज आप सभी लोगों की मेहनत से देश का अग्रणी राज्य बन गया है। भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी आज मध्यप्रदेश के बारे में लोगों की सोच में बदलाव आया है। लोग पहले की तुलना में अब मध्यप्रदेश के बारे में जानने की जिज्ञासा ज्यादा रखते हैं। लोग जानने के साथ-साथ मध्यप्रदेश से जुड़ना भी चाहते हैं। लोगों के लिए अब एम.पी. का अर्थ **मध्यप्रदेश** से आगे बढ़कर **मेरा प्रदेश** हो गया है। लोगों का इस तरह से सोचना हम सभी के लिये गौरव की बात है।

वर्ष 1956में जब मध्यप्रदेश बना था तो मध्य भारत, सेन्ट्रल प्रोविंसेज एण्ड बरार, विन्ध्य प्रदेश और भोपाल रियासत को मिलाकर बनाया गया था। अलग-अलग संस्कृतियों का मिलन भाषाई एकता के आधार पर किया गया था। आज मध्यप्रदेश ने भाषाई एकता के साथ-साथ सांस्कृतिक एकता की मिसाल पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि **अनेकता में एकता** यहां की विशेषता है। यह सच भी है कि भारत की बहुरंगी विविधताएं ही भारत को मजबूत बनाती हैं। एक सूत्र में बंधी हुई विविधता मध्यप्रदेश में हमें सशक्त रूप में दिखाई देती है।

भारत जब आजाद हुआ था, तो इस भू-भाग की अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान तो बहुत सशक्त थी। यहां कमी थी तो आधारभूत सुविधाओं की। मुझे एक बार चर्चा में ज्ञात हुआ कि आजादी के समय सिर्फ जबलपुर शहर में बिजली थी और उसके कुछ समय बाद सागर में बिजली आई थी। आगे चलकर धीरे-धीरे सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बिजली पहुंच पाई, ग्रामीण क्षेत्रों को तो लम्बे समय तक अंधेरे में ही जीवन-यापन करना पड़ा था। जब आज के मध्यप्रदेश को देखता हूँ, तो मन में सन्तुष्टि का भाव आता है कि आज हमारा मध्यप्रदेश विकास के हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुआ है।

आज मध्यप्रदेश में बिजली की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। हम आज विद्युत सरप्लस राज्य हैं। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र बिजली से रोशन हो रहे हैं। प्रदेश में किसानों को 10 घण्टे और आवासीय क्षेत्रों में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध हो रही है। समय के साथ-साथ स्थितियों में कितना बदलाव हो गया है। देश की आजादी के समय इस भू-भाग पर शिक्षा की दृष्टि से सिर्फ एक विश्वविद्यालय और सात महाविद्यालय थे। आज शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या ने मध्यप्रदेश के शैक्षणिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है।

बीते एक दशक में अधोसंरचना विकास के अभूतपूर्व कार्यों तथा मध्यप्रदेश की क्षमताओं, संभावनाओं, साफ नीयत व नीतियों के फलस्वरूप देश-दुनिया में मध्यप्रदेश को नई पहचान मिली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के **एकात्म मानवदर्शन** के अनुरूप हमने प्रदेश में अंत्योदय के सपने को साकार करने का प्रयास किया है। मध्यप्रदेश में हम **सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया** के भाव के साथ सभी वर्गों की भलाई पर ध्यान दे रहे हैं।

मध्यप्रदेश में युवाओं को रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर दिलाने के लिये कई कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। प्रदेश में **स्किल डेवलपमेंट मिशन** भी प्रारम्भ किया गया है। विद्यार्थियों को पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए **मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना** प्रारंभ की गई है। प्रदेश के किसानों को उनकी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिये **भावांतर भुगतान योजना** प्रारम्भ की गई है। सुशासन के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों को व्यापक रूप से सराहा गया है। प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम सभी लोग तभी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, जब हमारा आपसी संवाद अधिक से अधिक हो और हम सभी मिलकर और भी तेज गति से नये विकास कार्यक्रमों की योजना तैयार करें। आज से ही मैं दो माह के लिए **मध्यप्रदेश विकास यात्रा** प्रारंभ कर रहा हूँ। इस यात्रा के दौरान सभी वर्गों के लोगों से मिलकर मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाने के और नये कार्यक्रम तैयार करूंगा।

हम यही नहीं रूकेंगे। अभी हमें बहुत आगे जाना है। मध्यप्रदेश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना है। इसमें आप सभी का सहयोग आवश्यक है। आइये हम सभी मिलकर आगे बढ़े। आप सभी को स्थापना दिवस की पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं।

भावांतर भुगतान योजना

किसानों को 2 लाख रूपये तक नगद भुगतान में आयकर नियम बाधक नहीं

भोपाल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अनाज व्यापारियों की शंकाओं का समाधान करते हुए स्पष्ट किया है कि आयकर नियमों के अंतर्गत अनाज व्यापारी किसान से उसकी उपज की खरीदी के विरुद्ध 2 लाख रुपये तक का भुगतान नगद कर सकते हैं। भुगतान की इस कार्यवाही में आयकर नियम बाधक नहीं होंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री जेटली से प्रदेश में लागू की गई भावांतर भुगतान योजना में अनाज व्यापारियों में किसानों की उपज की खरीदी पर नगद भुगतान करने के बारे में व्याप्त शंकाओं के समाधान के लिए आग्रह किया था। इसके बाद वित्त मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 3 नवम्बर 2017 को परिपत्र जारी किया गया। इस परिपत्र के अनुसार अनाज व्यापारी किसान की उपज का 2 लाख रुपये की सीमा तक नगद भुगतान कर सकता है।

आयकर अधिनियम-1961 के प्रावधान 40-ए (3) के तहत 10 हजार से अधिक की नगद खरीदी संबंधी प्रतिबंधों को कृषि उत्पादों की खरीदी के संबंध में आयकर अधिनियम-1962 के नियम 6-डीडी के तहत समाप्त किया गया है। आयकर के अधिनियम 269 एसटी के अधीन 2 लाख से ऊपर की नगद बिक्री किसान द्वारा नहीं की जा सकेगी।

परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2 लाख या इससे कम के बिक्री लेन-देन के लिए पेन की जानकारी देना एवं फार्म नम्बर-60 प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

भावांतर भुगतान योजना की भ्रांतियों को दूर करने राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित

भोपाल। प्रदेश की मंडियों में भावांतर भुगतान योजना लागू होने के बाद प्रदेश के 19 लाख 63 हजार 317 किसान योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 2 हेक्टेयर तक की जोत के 60 प्रतिशत किसान हैं। इस प्रकार छोटे किसान भी इस योजना से लाभांवित हो रहे हैं। प्रदेश में अब तक 30 लाख क्विंटल से अधिक कृषि उपज की बिक्री इस योजना के अंतर्गत हो चुकी है, जिसका भुगतान लगभग 125 करोड़ रूपये है। योजना के संबंध में फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिये राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका फोन नंबर 0755-2550495 है। कंट्रोल रूम प्रातः 7 से रात 11 बजे तक संचालित होगा।

नीति आयोग की अनुशंसा अनुसार भावांतर भुगतान योजना लागू करने में मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है। बड़ी संख्या में किसानों द्वारा पंजीयन कराने से मंडियों में कृषि उपज की आवक में वृद्धि हो रही है। इससे कृषि उपज मंडियों की आय भी बढ़ रही है। अब तक प्रदेश के 40 प्रतिशत किसानों द्वारा योजना में पंजीयन कराने के परिणामस्वरूप मक्का, तुअर, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंग एवं तिल की आवक में बढ़ोत्तरी हुई है। अब तक मंडियों में नहीं आने वाली रामतिल की बिक्री भी मंडियों में आरंभ हुई है। कृषि उपज मंडियों में हो रही आवक में वृद्धि से कृषकों को कृषि उपज का सही मूल्य मिल सकेगा।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए.
स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

इस वर्ष 15 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की जाएगी

मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं कौशल सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए बड़े पैमाने पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस वर्ष के दौरान 15 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की जाएगी। प्रदेश के हर जिले में स्वरोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। श्री चौहान जबलपुर में आयोजित मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं कौशल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने का संकल्प भी व्यक्त किया।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के नौजवान प्रतिभा और परिश्रम में किसी से कमतर नहीं हैं। हमें भरोसा है कि आने वाले समय में हमारे नौजवान देश के शीर्ष उद्योगपतियों की पंक्ति में जगह बनाने में भी कामयाब होंगे। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र की कम्पनियों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भी राज्य सरकार ने पहल की है। इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।

श्री चौहान ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. श्री ईश्वरदास रोहाणी का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन जनता के लिए समर्पित था। वे आम लोगों की परेशानी और दुख दूर करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। बच्चों की पढ़ाई से लेकर आम लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक जनहित से जुड़े हर पहलू पर उनका ध्यान रहता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक श्री अशोक रोहाणी अपने पिता के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिभाशाली बच्चों को प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिलने पर राज्य सरकार उनकी फीस का जिम्मा उठाएगी। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए तमाम सहूलियतें मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया।

श्री चौहान ने युवाओं का आह्वान किया कि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अपना उद्यम स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाएं। उन्होंने जबलपुर को स्वच्छता में देश में शीर्ष पायदान पर पहुंचाने के लिए संकल्पित होने के लिये लोगों का आह्वान किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को समाजसेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए शाल और पुष्पाहारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा अन्य योजनाओं में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित करने वाले हितग्राहियों तथा उन्नत कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचने वाले प्रगतिशील कृषकों को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री शरद जैन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सांसद श्री राकेश सिंह, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम उपाध्यक्ष श्री एस.के. मुद्दीन, महाकौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्रभात साहू, जबलपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ विनोद मिश्रा, महापौर डॉ स्वाति गोडबोले, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री मनोरमा पटेल, विधायक सुश्री प्रतिभा सिंह, सुश्री नंदिनी मरावी एवं श्री अशोक रोहाणी, मनोनीत विधायक श्री एल.बी. लोबो, निगम अध्यक्ष सुश्री सुमित्रा बाल्मीकि, श्री जी.एस. ठाकुर, श्री शिव पटेल, श्री अभिलाष पाण्डे एवं पूर्व सांसद सुश्री जयश्री बैनर्जी भी मौजूद थे।

महिला स्व-सहायता समूहों ने ग्रामीणों को साहूकारों से दिलाई मुक्ति

भोपाल। बड़वानी जिले के सेधवा विकासखंड में एक छोटा-सा गांव है वासवी। इस गांव में 372 परिवार रहते हैं। अधिकांश परिवार रोजगार और खेती-बाड़ी के लिये साहूकारों के पास अपने गहने जमानत पर रखकर 5 प्रतिशत ब्याज पर कर्जा लेते रहे। इससे ग्रामीणों की गरीबी तो दूर नहीं हुई बल्कि ये साहूकारों के चंगुल में फंसकर रह गये।

ग्रामीण महिलाओं ने सजगता दिखाई, एकजुट हुईं और 21 स्व-सहायता समूह बनाकर ग्रामीणों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने की ठानी। इन स्व-सहायता समूहों ने गांव के करीब 222 परिवारों को रोजगार स्थापित करने और खेती-बाड़ी के लिये बिना जमानत के 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की योजना बनाई। आज गांव में साहूकारी प्रथा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है।

स्व-सहायता समूहों से आर्थिक मदद लेकर गांव के 9 परिवार डेयरी पालन कर रहे हैं, 7 परिवारों के पास टाटा मैजिक वाहन है जिसे किराये पर चलाकर अच्छा कमा रहे हैं, 16 परिवार बकरी पालन, 8सब्जी की

दुकान, 6किराना दुकान, 2 आटा चक्की, 6मोटर बांइडिंग, 20 सेन्टरिंग और 2 परिवार कटलरी की दुकान का व्यवसाय कर रहे हैं। गांव के 180 लोगों ने फसल उत्पादन और 13 लोगों ने फूलों की खेती और सब्जी उत्पादन के लिये स्व-सहायता समूहों की मदद ली है। आज ये सभी परिवार सुखी हैं, न्यूनतम ब्याज पर कर्जा चुका रहे हैं, परिवार का पालन-पोषण करने में सक्षम हो गये हैं और ग्रामीण समाज में इज्जत के साथ जीवनयापन कर रहे हैं।

ग्राम संगठन की अध्यक्ष श्रीमती रेशा बाई सिकराम और कोषाध्यक्ष श्रीमती शांता बाई सोलंकी ग्रामीण परिवारों की तरक्की का लगातार मूल्यांकन करती हैं, उन्हें जरूरी सलाह देती हैं और उनकी शंकाओं का समाधान भी करती हैं। अब सभी ग्रामीण गांव के विकास कार्यों में रूचि ले रहे हैं। ग्रामीणों की भागीदारी से ग्रामीण नल-जल योजना की शुरूआत हो गई है। इस योजना से गाँव में घर-घर शुद्ध पानी भी मिलने लगा है।

बीड़ ग्राम में मछली पालन बना अतिरिक्त आमदनी का सशक्त जरिया

भोपाल। अनूपपुर जिले के ग्राम बीड़ में अच्छी अतिरिक्त आमदनी के लिये ग्रामीणों में मछली पालन के प्रति रूझान बढ़ रहा है। नारायण सिंह जैसे 12 महिला एवं पुरुषों ने मिलकर मछुआ समूह बनाकर ग्राम में मछली पालन करना प्रारम्भ किया है। समूह ने ग्राम पंचायत के चार तालाबों के साथ-साथ लगभग 4.00 हेक्टेयर के नकटी जलाशय में भी मछली पालन का कार्य प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2013-14 से यह समूह मछली पालन विभाग की मदद और आपसी सहयोग से मछली बीज का तालाबों एवं जलाशय में संचयन एवं उत्पादन कर रहा है।

समूह के सदस्य स्वयं जाल की मदद से मछली निकाल कर नजदीक के लपटा, खूंटाटोला, वेंकटनगर और जैतहरी आदि गाँवों के हाट-बाजारों में बिक्री कर अपने सदस्यों को लाभ दिलाने के साथ-साथ समूह के खाते में बचत भी करते है। इससे सदस्यों की अच्छी वार्षिक आय हो जाती है।

अब यह मछुआ समूह **तिपान मछुआ सहकारी समिति** में परिवर्तित हो गया है। इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 25 हो गई है। समिति ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मछली पालन विभाग से 0.5 हेक्टेयर जल क्षेत्र लेकर 5 लाख रूपये की लागत से 4 नर्सरी का निर्माण किया है। उन्हें मिली वित्तीय मदद में 2.50 लाख रुपये अनुदान और 2.50 लाख रुपये खूंटाटोला के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण है। विगत 4 साल से ये समूह मैहर एवं छत्तीसगढ़ से मछली के स्पान लेकर संचयन करते हैं और फिर फ्राय तथा फिंगरलिंग में उसे विकसित कर बिक्री करते हैं। बचे हुए बीज का अपने तालाबों और जलाशय में संचयन करते हैं। इससे समिति को मछली बीज विक्रय से तो लाभ मिल रहा है, साथ-साथ मत्स्य विक्रय और आसपास के तालाबों से भी मछली पालन से वर्ष में 3 से 4 लाख रुपए की आमदनी भी मिल रही है। गाँव में मछली पालन ग्रामीणों के लिये अतिरिक्त आमदनी का सशक्त जरिया बन गया है।

सहकारी बैंक के अधिकारियों को भी दी गई भावांतर भुगतान योजना की जानकारी

भोपाल। जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भावांतर भुगतान योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी.गुप्ता, प्रबंध संचालक राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड श्री फैज अहमद किदवई, आयुक्त सहकारिता श्रीमती रेणु पंत, एम.डी. अपेक्स बैंक और सभी जिलों के सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस दौरान मौजूद थे।

एम.डी. मण्डी बोर्ड श्री किदवई ने पॉवर प्वाइंट के माध्यम से योजना के विभिन्न प्रावधानों को विस्तार से समझाया। उन्होंने जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कहा कि वह योजना के सभी प्रावधानों को समझें। किसानों के बैंक खातों में भावांतर की राशि जमा की जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किसान द्वारा कृषि उपज मण्डी में फसल विक्रय करने पर परिवहन व्यय और इसी प्रकार भण्डारण व्यय भुगतान संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया गया। प्रमुख सचिव श्री के.सी. गुप्ता ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना की जानकारी किसानों को भी दें।

गोपाल पुरस्कार योजना हेतु आवेदन आमत्रित

भोपाल। भारतीय नस्ल के गौ-भैस वंशीय पशुओ के पालन को बढ़ावा देने एंव अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये गोपाल पुरस्कार योजना संचालित की गई है। योजना सभी वर्ग के पशुपालकों के लिये है। जिनके पास भारतीय नस्ल की गाय व भैस उपलब्ध हो। गाय का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन 04 लीटर या उससे अधिक हो। भैस का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन 06लीटर या उससे अधिक हो।

मण्डी रिकार्ड में विक्रेता की जगह अब विक्रेता/ कृषक शब्द का होगा प्रयोग

भोपाल रा%य शासन ने कृषि उपज मण्डियों में अधिसूचित कृषि उपजों की बेहतर नियमन व्यवस्था के लिए मण्डी समितियों के लिए लागू उपविधि में संशोधन किया है। उपविधि में जहाँ विक्रेता शब्द आया है, वहाँ पर विक्रेता/कृषक शब्द स्थापित किया गया है। कृषि उपज मण्डी समितियों को विशेष सम्मेलन बुलाकर मण्डी समितियों के लिए लागू उपविधि में संशोधन कर नवीन उपबंध अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए गये हैं। अब मण्डी रिकार्ड में पंजीकृत किसान को 2 लाख रुपये तक के नगद भुगतान के लिए कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करना होगा।

डेढ़ लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को 22 नवम्बर तक 248.30 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान होगा

भोपाल। भांवातर भुगतान योजना में 1 लाख 55 हजार 942 पंजीकृत किसानों को 22 नवम्बर तक 248करोड़ 30 लाख रूपये का भुगतान कर दिया जाएगा। यह भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। किसानों को बैंक तथा भुगतान के संबंध में 2 एस.एम.एस प्रेषित किये जा रहे हैं। जिसके द्वारा बेची गई सामग्री तथा भुगतान योग्य राशि की जानकारी किसानों को दी जाएगी। यह जानकारी प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा और म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री फैज अहमद किदवई ने दी। डॉ. राजौरा ने बताया कि योजना में 1 लाख 55 हजार से अधिक किसानों का डाटाबेस तैयार हो चुका है। इससे मंडियो में आने वाली उपज की मात्रा में वृद्वि होगी और किसानों को फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में सोयाबीन का बेहतर भाव मिल रहा है। योजना क्रियान्वयन के बारे में उत्तरप्रदेश, राजस्थान, उडीसा सहित 12 राज्यों ने जानकारी ली है। योजना क्रियान्वयन के पहले तथा क्रियान्वयन के बाद की दरों की तुलना से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भावांतर भुगतान योजना से बाजार में स्थायित्व आया है और किसानों को लाभ हुआ है। किसानों में योजना के लिए उत्सुकता है।

श्री राजौरा ने बताया कि 16 से 30 अक्टूबर 2017 के मध्य समर्थन मूल्य और मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि सोयाबीन में 470 रूपये प्रति क्विंटल, मक्का में 235 रूपये प्रति क्विंटल, मूंग में 1455 रूपये प्रति क्विंटल, मूंगफली में 730 रूपये प्रति क्विंटल और उड़द में 2400 रूपये प्रति क्विंटल रही। योजना के अंतर्गत अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन की मात्रा 4 लाख 44 हजार 260 मीट्रिक टन, मक्का 38हजार 361 मीट्रिक टन, उड़द 26 हजार 210 मीट्रिक टन, मूंगफली 652.48 मीट्रिक टन और 134.47 मीट्रिक टन मूंग की आवक हुई है। किसानों की सुविधा के लिए अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में सुविधाजनक स्थानों पर मंडी सुविधा उपलब्ध करवायी गई है। कई जिलों में उपमंडियाँ भी संचालित की जा रही हैं। किसानो को मंडियों तथा फसल के भावों की जानकारी देने के लिए आकाशवाणी सहित अन्य प्रचार माध्यमों का सहयोग भी लिया जा रहा है। योजना में विभिन्न फसलों पर देय राशि की गणना की प्रक्रिया और जानकारी देने के लिए किसानों को विभाग की ओर से पेम्फलेट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कंट्रोल रूम भी लगातार सक्रिय है।

मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग की सभी सेवाएं कैशलेस

भोपाल 1 नवंबर मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस से स्टांप एवं पंजीयन विभाग द्वारा सभी प्रकार की सेवाएं कैशलेस कर दी गई है। कैशलेस प्रक्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे सर्टिफाइड कॉपी फीस, डाक्यूमेंट सर्च फीस, कमी मुद्रांक शुल्क, बकाया राजस्व वसूली इत्यादि का भुगतान कैशलेस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है।

स्टांप एवं पंजीयन विभाग द्वारा जारी आदेश के आधार पर पक्षकार स्वयं की आई. डी. बनाकर या किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रक्रिया अनुसार इलेक्ट्रानिक पेमेंट करने के पश्चात उप पंजीयक/जिला पंजीयक में रसीद को कन%यूम करा सकते है।

कृपया ध्यान दें

सहकारी बैंकों के वित्तीय पत्रक प्रकाशन की समय-सीमा 31 दिसम्बर, 2016 है, समय सीमा को दृष्टिगत रखते हुए, सहकारी बैंकों से अपेक्षा है कि अपने वित्तीय पत्रक प्रकाशन हेतु शीघ्र साफ्ट कापी **ई-मेल rajyasanghbpl@yahoo.co.in से एवं हार्ड कापी म.प्र. राज्य सहकारी संघ, ई-8/77, शाहपुरा, भोपाल-462039, मध्यप्रदेश के पते पर शीघ्र भेजें।** इस हेतु राज्य संघ के पत्र का अवलोकन कर लें।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017

मेरा लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त भारत

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है । हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है ।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं ।

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा ।

अत:, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :-

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे ;
- हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे ;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं ;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे ;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे ;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे ;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा पर्दाफाश तंत्र का प्रबंध करेंगे ;
- हम संबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करेंगे ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग देश का शीर्षस्थ संस्थान है जो सार्वजनिक जीवन में सत्य निष्ठा, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करता है। इस क्रम में इस वर्ष 30 अक्टूबर से 4 नवम्बर, 2017 तक 'मेरा लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय पर किया गया। इस दौरान संस्था के भीतर तथा नागरिकों के लिये जागरूकता की गतिविधियों का आयोजन किया गया। म.प्र. राज्य सहकारी संघ में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कर्मचारियों तथा प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा ली। इस अवसर के छायाचित्र, प्रतिज्ञा तथा आयोग द्वार जारी प्रमाण पत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

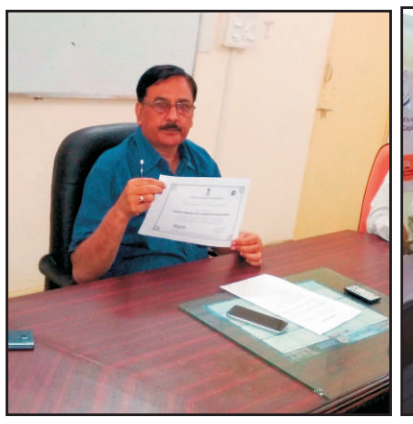

सत्यमेव जयते

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

Certificate of Commitment

This is to certify that

MADHYA PRADESH STATE COOPERATIVE UNION BHOPAL

has adopted the Integrity Pledge and is committed to uphold highest standards of integrity and good governance and to follow ethical practices in conducting its activities

4755665963

Nilam Sawhney
Secretary

Central Vigilance Commission, Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex, INA, New Delhi-110023
Tel: 011- 24600200 (30 Lines), Fax No. 011- 24651010/24651186, Website: www.cvc.nic.in

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।